यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-II, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-II, हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनुप कुमार गुप्ता (स.ले.प.अ)सुश्री रेखा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री अशोक कुमार मीणा (ले.प.) द्वारा दिनांक 11.12.2017 से 19.12.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 03.03.2017 से 14.03.2017 तक तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कर संग्रह, हरिद्वार

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	2990.62
2015-16	812.70
2016-17	974.00

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....शून्य.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-II, हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-II, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: -

राजस्व: -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -2 अ</u>

प्रस्तर- **1** क्रय की गयी वस्तु केन्द्रीय पंजीयन से आच्छादित न होने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण ₹40.66 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अ धनियम, 1956 की धारा 10 (b) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए कसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मथ्या जाहिर करेगा क माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अ धनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी रा श उस पर अ धरो पत की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अ धक न हो जो उस माल पर उसको कए गए वक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत कया जाता यदि वक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला वक्रय होता।

1. कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री रे डसन लाइफ साइन्स, टिन- 05005591105, द्वारा कर निर्धारण वर्ष-2013-14 में 166 फॉर्म-सी निर्गत कए गए थे जिसमें 99 फॉर्म ₹9656854 की मे ड सन खरीद के लए निर्गत कए गए थे। मे ड सन की खरीद करना व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं पायी गयी। इस लए उपरोक्त धारा के अंतर्गत ₹9656854 पर 5 प्रतिशत की दर से ₹482842 का 1.5 गुना ₹724264 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया था।

2. सर्वश्री क्रएटिव इंटरनेशनल टेक्नालजी टिन 05008383444 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में ₹13607822 की डी वी डी पार्ट्स तथा 2012-13 में ₹2894524 की डी वी डी पार्ट्स एवं हीट संक की खरीद हेतु प्रपत्र-सी जारी कए गए थे। व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अं कत है क मल्टीमी डया प्लेयर का निर्माण दिनांक 19.09.2012 से शुरू कया गया है। डी वी डी पार्ट्स की खरीद उक्त ति थ से पूर्व की है एवं हीट संक व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है। अतः डी वी डी पार्ट्स एवं हीट संक व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन से आच्छादित न होने के कारण उक्त धारा 10 (b) के अंतर्गत ₹16502346 (13607822+2894524) पर 13.5 प्रतिशत की दर से देय कर ₹2227816 का 1.5 गुना ₹3341725 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही करने का अशवासान दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 अ</u>

प्रस्तर-2 मथ्या प्रमाण पत्र देने के फलस्वरूप कर व अर्थदण्ड का अनारोपण ₹350.50 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार इस अ धनियम में अन्यत्र दी गयी कसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अ धनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के कसी उपबंध के अधीन वहित कोई ऐसा मथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणापत्र कसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा कए गए क्रय या वक्रय के संव्यवहार पर इस अ धनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनरा श का दायी होगा जो ऐसे समव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न कया गया होता। इसी अ धनियम की धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार कोई झूठा या गलत घोषणापत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अ धनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अ धसूचनाओं के अंतर्गत वक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अंतर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अना धक धनरा श या इस अ धनियम के कन्ही उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की 3 गुना धनरा श, जो भी अ धक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

1. कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री क्रएटिव इंटरनेशनल टेक्नालजी, टिन 05008383444 इलेक्ट्रोनिक व इलेक्ट्रिकल गुड्स के निर्माण हेतु पंजीकृत है व मान्यता प्रमाण पत्र धारक है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में 07 प्रपत्र-XI ₹53854800 तथा वर्ष 2012-13 में 01 प्रपत्र-XI ₹7852545 की डी वी डी पार्ट्स की खरीद हेतु निर्गत कए गए थे। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2012-13 में ₹3260040 का इंडक्शन पार्ट्स 2 प्रतिशत कर अदा करते हुए क्रय कया गया था जिसका प्रपत्र-XI वर्ष 2012-13 में जारी नहीं कया गया था। डी वी डी पार्ट्स एवं इंडक्शन पार्ट्स व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है इस लए उक्त धारा 63 के अनुसार ₹64967385 (₹53854800+ ₹7852545+ ₹3260040) पर अंतरीय कर 11.5 प्रतिशत (13.5-2) की दर से कर ₹7471249 तथा धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार 13.5 प्रतिशत की दर से ₹8770597 का 3 गुना ₹26311791 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया।

2. सर्वश्री पुष्टि मेटल इंडस्ट्रीज़, टिन 05010966263 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में 5 फॉर्म-XI ₹2422134 की केबिल ट्रे, पेनल हाइड्रेन्ट मशीन हेतु वगत वर्षों के लए निर्गत कए गए थे। जब क उक्त वस्तुओं की खरीद हेतु व्यापारी दिनांक 11.06.2013 से अ धकृत है। अतः इसकी खरीद पर अंतरीय कर 11.5 प्रतिशत की दर से ₹278545 कर आरोपणीय था तथा धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार ₹2422134 पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹326988.00 का 3 गुना ₹980964 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया।

अतः ₹35042549 (₹7749794 कर व ₹27292755/अर्थदण्ड) की राजस्व क्षति हुई।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - 2 ब</u>

प्रस्तर-01 आई टी सी का अ धक लाभ दिया जाना ₹0.32 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लए पंजीकृत व्योहरी हकदार होगा, कर की वह धनरा श होगी जो कर अव ध के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे क इस धारा में वनिर्दिष्ट है, कए गए क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्योहरी द्वारा वक्रेता व्योहरी को भुगतान कया गया हो।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री कशन चन्द हेम चन्द, टिन- 05002099493, द्वारा कर निर्धारण वर्ष- 2013-14 में ₹8055724.55 की खरीद पर वैट ₹411154.35 अदा कया गया था जब क कर निर्धारण अ धकारी द्वारा व्यापारी को ₹443021 का लाभ दिया गया जो क ₹31867 का अ धक लाभ था।

अतः व्यापारी द्वारा ₹31867 ब्याज सहित जमा कया जाना अपे क्षत है।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा आई टी सी रिवर्स कए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर-2 स्टॉक ट्रान्सफर पर आई टी सी रिवर्स न कया जाना ₹1.83 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 8(च) के अनुसार माल जो वक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर अंतरित होता है ऐसे माल के क्रय पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री रे डसन लाइफ साइन्स, टिन- 05005591105 द्वारा कर निर्धारण वर्ष-2013-14 में ₹5535255 की प्रांतीय खरीद की गयी थी जिस पर ₹271129 का आई टी सी क्लेम कया गया था जो वभाग द्वारा अनुमन्य कया गया। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में कुल बिक्री ₹14912605 की गयी थी। जिसमें ₹10093633 का स्टॉक ट्रान्सफर कया गया था। जो कुल बिक्री का 67.68 प्रतिशत था। उपरोक्त धारा के अंतर्गत व्यापारी को कुल क्लेम आई टी सी ₹271129 का 67.68 प्रतिशत ₹183500 रिवर्स कया जाना था जो वभाग द्वारा नहीं कया गया था।
अतः व्यापारी द्वारा ₹183500 तथा जमा करने की ति थ तक ब्याज जमा कया जाना अपे क्षत रहेगा।
वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर जांचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासान दिया गया है।
अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

RS/CT-118/2017-18

STAN

प्रस्तर-1 आयात फॉर्म का ववरण प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप राजस्व क्षति से इन्कार न कया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 के नियम 30 (14) के अनुसार कसी व्योहारी को नए प्रपत्र तब तक जारी नहीं कए जाएंगे जब तक उसने पहले जारी कए गए समस्त प्रपत्रों का लेखा न दे दिया हो तथा नियम 31 के उपनियम 9 के अनुसार सभी अप्रयुक्त प्रमाण पत्र कर निर्धारक प्रा धकारी को लौटा दिये जाने चाहिए।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री रे डसन लाइफ साइन्स, टिन - 05005591105, द्वारा दी गयी फॉर्म-16 की सूची के अनुसार वर्ष 2013-14 में व्यापारी के पास फॉर्म-16 का प्रारम्भिक अवशेष 75 था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 50 फॉर्म प्राप्त कए गए थे एवं 65 फॉर्मों का उपयोग कया गया था तथा 60 फॉर्म अवशेष दर्शाये गए थे। जिसमें से संगत वर्ष में 13 फॉर्म (IN HAND) एवं 47 फॉर्म 10 सतम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 तक प्राप्त कए हुए pending के रूप में दर्शाये गए थे। इतने अ धक पुराने फॉर्मो को pending दर्शाया जाना नियमों के वपरीत है।

इस प्रकार आयात फॉर्मो को pending दर्शाये जाने से राजस्व क्षति होने से इन्कार नहीं कया जा सकता।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जंचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर-3 ब्याज न लए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.00 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा 9 के अनुसार उपधारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनरा श जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य कन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी धनरा श पर उस तारीख से जब ऐसी धनरा श कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनरा श वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, टिन - 05002201440 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य के सापेक्ष ₹36549960 का भुगतान सं वदकारों को कया गया था। सं वदाकारों को कए गए भुगतान में से ₹1986452 की टी डी एस की कटौती करके कोषागार में जमा कया गया था। व्यापारी द्वारा उक्त धनरा श ₹1986452 में से ₹654618.50 अत्य धक वलम्ब से जमा कया गया था जिस पर वभाग द्वारा ₹99733 ब्याज नहीं लया गया था (गणना शीट संलग्न)।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

माह	टी डी एस की धनरा श ₹	देय ति थ	जमा करने की दिनांक	वलम्ब की अव ध	ब्याज की रा श ₹
अप्रैल 2013	39155.82	31.05.2013	10.11.2014 व 11.11.2014	17 माह 10 दिन	8482
मई 2013	112318.36	30.06.2013		16 माह 10 दिन	22927
जून 2013	66587.74	31.07.2013		15 माह 10 दिन	12760
जुलाई 2013	46393.74	31.08.2013		14 माह 10 दिन	8310
अगस्त 2013	43667.32	30.09.2013		13 माह 10 दिन	7276
सतम्बर 2013	52930.74	31.10.2013		12 माह 10 दिन	8158
अक्टूबर 2013	60132.68	30.11.2013		11 माह 10 दिन	8516
नवम्बर 2013	2353.50	31.12.2013		10 माह 10 दिन	304
दिसम्बर 2013	79155.08	31.01.2014		09 माह 10 दिन	9231
जनवरी 2014	44999.76	28.02.2014		08 माह 10 दिन	4686
फरवरी 2014	49831.26	31.03.2014		07 माह 10 दिन	4566
मार्च 2014	57092.50	30.04.2014		06 माह 10 दिन	4517
योग	654618.5				99733

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर-4 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.64 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1 (VII) (ख) के अनुसार यदि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया गया तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो, और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर ₹10000 से अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री श्री साई एंटरप्राइजेज़, टिन - 05006750061 द्वारा कर निर्धारण वर्ष-2013-14 में स्वीकृत कर ₹638626 विलम्ब से जमा किया गया था। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर न्यून्तम 10 प्रतिशत की दर से ₹63863 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार है।

क्रम संख्या	माह	धनराशि	देय तिथि	जमा करने की तिथि	अर्थदण्ड
1	अप्रैल 2013	29362	मई 2013	27.08.2013	2936.2
2	मई 2013	80147	जून 2013	27.08.2013	8014.7
3	जून 2013	23125	जुलाई 2013	27.08.2013	2312.5
4	जुलाई 2013	65584	अगस्त 2013	07.12.2013	6558.4
5	अगस्त 2013	50029	सितम्बर 2013	07.12.2013	5002.9
6	सितम्बर 2013	45251	अक्टूबर 2013	07.12.2013	4525.1
7	अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013	145128	जनवरी 2014	24.06.2014	14512.8
8	जनवरी 2014 से मार्च 2014	200000	अप्रैल 2014	29.08.2014	20000
योग		638626			63862.6

इस प्रकार व्यापारी पर ₹63863 अर्थदण्ड आरोपणीय है।

उपरोक्त प्रकरण वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।
अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर-5 कर का अनारोपण ₹0.77 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत अ धनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार कसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कर आरो पत कया जाएगा। इस अ धनियम की धारा 3 की उपधारा 4 (घ) के अनुसार राज्य के बाहर से क्रय कए गए या प्राप्त कसी करादेय माल के वक्रय पर कर आरो पत कया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री दृष्टि ग्लास ट्रेडर्स, टिन- 05002038577 द्वारा कर निर्धारण वर्ष-2013-14 में 13.5 प्रतिशत की दर से ₹72,07,227 की प्रांतीय खरीद दर्शाई गयी थी। व्यापारी द्वारा दो आयात फार्मों से ₹601669 की आयातित खरीद की गयी थी जिसमे ₹5,66,995 की 13.5 प्रतिशत का फ्लोट ग्लास की आयातित खरीद की गयी थी जिसे खरीद में शा मल नहीं कया गया इस लए उक्त को बिक्री मानते हुए 13.5 प्रतिशत की दर से ₹76544 कर की देयता है तथा जमा करने की ति थ तक ब्याज भी देय है।

उपरोक्त प्रकरण वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।
अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

RS/CT-118/2017-18

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर-6 कर का अनारोपण ₹0.79 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 ख (i) के अनुसार पके भोजन की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री पीनाकी इंट्रीट्मेंट, टिन- 05014066286 द्वारा कर निर्धारण वर्ष- 2013-14 में ₹940500 की पके भोजन की बिक्री की गयी थी जिस पर 5 प्रतिशत की दर से ₹48378 कर जमा कया गया था। जब क पके भोजन की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹126968 जमा कया जाना अपे क्षत था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा रुपये 78580 (126968-48378) जमा कया जाना व इस पर जमा करने की ति थ तक ब्याज जमा कया जाना अपे क्षत है।

उपरोक्त प्रकरण वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
22/2006-07	01	01,02
24/2008-09	01	01,02
13/2010-11	01,02	01,02
57/2011-12	01	01,02,03,04
21/2012-13	01	-
26/2013-14	-	01,02,03,04,05,06,07,08
25/2014-15	-	01
40/2015-16	01	02,03,04,05,06,07
50/2016-17	01	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**II**, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती दीप शखा	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**II**, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र